मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक,– 15 जून, 2006

क्रमांक. 1524–म.प्र.वि.नि.आ.–06– विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 43 (1) सहपठित धारा 181 (2)(टी), धारा 44, धारा 46 सहपठित धारा 181 (1), धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (1), धारा 47 (1) सहपठित धारा 181 (डब्लू), धारा 47 (2,3 एवं 5), धारा 48 (बी), धारा 50 सहपठित धारा 181 (2)(एक्स) एवं धारा 56 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9 (जे) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861–विनिआ–04 दिनांक 27 मार्च 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्न संशोधन करता है।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में छटवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह संहिता ''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 (छटवां संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (vi) वर्ष 2006)'' कही जावेगी।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

2. अनुच्छेद 1.7 में संशोधन

अनुच्छेद 1.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''1.7 आयोग अपने संचालकों में से एक को समीक्षा समिति का संयोजक तथा संयुक्त संचालक को सदस्य सचिव नामांकित करेगा। आयोग इसे सभी प्रकार की वांछित सहायता, प्रशासनिक अथवा अन्य प्रकार से, उपलब्ध करायेगा। समीक्षा के समस्त सदस्यों की नियुक्ति दो वर्षो की अवधि हेतु की जावेगी तथा किसी भी बैठक में उपस्थित सदस्यों में से एक सदस्य को वे उस बैठक हेतु अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव